हजारों होर्डिंग से सजा शहर, जनसैलाब ने दी बधाईयां, जनसेवा और आत्मीयता के बीच मनाया गया मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का जन्मदिन

भगवान शिव का महाभिषेक कर, मंत्री राजपूत ने मांगा प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद, दिव्यांग बच्चों के साथ भोजन कर बांटी खुशियां

» शहर की गलियों से चैराहों तक दिखा जन्मदिन का उत्साह

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का जन्मदिन इस बार सागर शहर और सुरखी विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व उत्साह, आत्मीयता और जनसेवा के भाव के साथ मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर पूरा शहर मंत्री श्री राजपूत को जन्मदिन की बधाई देने वाले होर्डिंग, बैनर और शुभकामना संदेशों से सजा नजर आया। शहर के प्रमुख मार्गों, चैराहों और सार्वजनिक स्थानों पर हजारों की संख्या में लगाए गए होर्डिंग्स ने जन्मदिन के उत्सव को भव्य रूप दे दिया।

सुबह से ही मंत्री श्री राजपूत को शुभकामनाएं देने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक, इष्ट-मित्र, शुभचिंतक, माताएं-बहनें, युवा एवं क्षेत्रवासी अलग-अलग स्थानों पर पहुंचे और मंत्री श्री राजपूत को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु एवं सफल जीवन की कामना की। चारों ओर उत्साह, उमंग और आत्मीयता का माहौल दिखाई दिया।

*धार्मिक आस्था के साथ हुई दिन की शुरुआत : मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने जन्मदिन की शुरुआत प्रातः 11 बजे निज निवास पर पूजा-अर्चना एवं गौसेवा के साथ की। उन्होंने ईश्वर से प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों के सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।दोपहर 12 बजे मंत्री श्री राजपूत भूतेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भूतेश्वर महादेव का विधि-विधान से महाभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ को 56 भोग अर्पित कर विशेष पूजा-अर्चना की गई। मंत्री श्री राजपूत ने विधानसभा क्षेत्र सुरखी एवं प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और निरंतर विकास की कामना करते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया।

बीएमसी के पूर्व छात्रों ने किया आत्मीय स्वागत :दीनदयाल चैराहे पर बीएमसी के पूर्व छात्र भीमसेन यादव एवं उनकी मित्र मंडली ने मंत्री श्री राजपूत का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर केक काटकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं। मित्रों एवं शुभचिंतकों ने उनके स्वस्थ, दीर्घायु एवं सफल जीवन की कामना की।

होटल रॉयल पैलेस में उमड़ा शुभचिंतकों का सैलाब : दोपहर से शाम तक होटल रॉयल पैलेस में मंत्री श्री राजपूत ने कार्यकर्ताओं, इष्ट-मित्रों एवं शुभचिंतकों से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। हर चेहरे पर उत्साह और हर जुबान पर जन्मदिन की बधाई नजर आई।होटल रॉयल पैलेस में मंत्री श्री राजपूत ने दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग बच्चों के साथ स्नेहपूर्वक भोजन किया। उन्होंने बच्चों को पुरस्कार एवं उपहार वितरित किए और उनके साथ जन्मदिन की खुशियां साझा कीं। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि समाज के हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाना ही जन्मदिन मनाने की वास्तविक सार्थकता है।

प्रजापति समाज ने 63 मटकियों में दही-दूध भरकर विषेष रूप से दी शुभकामनाएंः अपने नेता के जन्मदिन की खुशी को उनके समर्थकों व चाहने वालों ने अपने-अपने अंदाज में मनाया।

जौहरः एक दर्दनाक इतिहास, जिसे समझने संवेदनशील दृष्टिकोण की जरूरत

डॉ आरएच लता
पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल

किसी भी ऐतिहासिक घटना को आज के चश्मे से देखकर उस पर सरल शब्दों में 'कायरता' या 'डर' का ठप्पा लगा देना इतिहास के साथ न्याय नहीं है। विशेषकर जब बात राजपूत और भारतीय क्षत्राणी नारियों के जौहर जैसी अत्यंत संवेदनशील ऐतिहासिक परंपरा की हो।

अभिनेत्री स्वरा भास्कर द्वारा क्षत्राणियों के जौहर को कायरता और डर से जोड़कर देखना एक ऐसी ऐतिहासिक दृष्टि है, जिस पर गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इतिहास से असहमति हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन इतिहास की किसी घटना का मूल्यांकन करने से पहले उस दौर की सामाजिक, राजनीतिक और युद्धकालीन परिस्थितियों को भी समझना भी उतना ही आवश्यक है। मध्यकालीन युद्धों का स्वरूप आज के युद्धों से बिल्कुल अलग था। पराजित राज्य की स्त्रियों और बच्चों की सुरक्षा के लिए उस समय कोई आधुनिक कानूनी या तो संस्थागत व्यवस्था नहीं थी। युद्ध में विजय के बाद महिलाओं के अपहरण, दासता, जबरन विवाह और यौन हिंसा का खतरा वास्तविक था। ऐसी परिस्थितियों में कुछ राजपूत समाजों में जब यह स्पष्ट हो जाता था कि दुर्ग की रक्षा अब संभव नहीं है और शत्रु सेना भीतर प्रवेश करने वाली है, तब महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से अग्नि में प्रवेश करने की परंपरा को जौहर कहा गया। पुरुष योद्धा इसके बाद अंतिम युद्ध जिसे साका कहा जाता था, के लिए निकलते थे।

आज की दृष्टि से जौहर एक अत्यंत पीड़ादायक और त्रासद घटना है। किसी भी स्त्री की मृत्यु को महिमा मंडित करना उचित नहीं है। लेकिन इसे केवल 'कायरता' कह देना भी उतना ही अनुचित है। ऐसा करना उन परिस्थितियों, भयावह संकट और मानसिक संघर्ष को नजरअंदाज करना होगा, जिनके बीच ऐसे निर्णय लिए गए।

पद्मिनी से लेकर हजारों अनाम स्त्रियों तक मृत्यु का सामना ?

रानी पद्मिनी और चित्तौड़ के जौहर की कथा भारतीय लोकस्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इतिहास में जौहर की घटनाओं के विवरण अलग-अलग स्रोतों में अलग रूप में मिलते हैं और लोककथाओं तथा ऐतिहासिक प्रमाणों के बीच अंतर करना भी आवश्यक है। लेकिन एक बात निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ऐसी अनेक स्त्रियाँ थीं जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं के कारण युद्ध और राजनीतिक संघर्ष की भयानक परिस्थितियों का सामना किया। उनकी कहानी को केवल रोमांटिक बनाने के बजाय हमें उससे यह सीखना चाहिए कि समाज को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें किसी स्त्री को सम्मान और जीवन के बीच चुनाव ही न करना पड़े। इतिहास की उन स्त्रियों को समझने के लिए भावनात्मक नारों के बजाय संवेदनशील ऐतिहासिक दृष्टि की आवश्यकता है। उनकी पीड़ा को समझना भी जरूरी है और उनके साहस तथा मनोबल को स्वीकार करना भी। यदि कोई महिला अपनी मृत्यु को सामने देखकर भी भय के बजाय अपने निर्णय पर अडिग रहती है, तो उसके मनोबल को समझना आवश्यक है। हम इतिहास के उन अध्यायों को स्वीकार कर सकते हैं या उनसे असहमत हो सकते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि आज के समाज में किसी महिला के सामने ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आनी चाहिए। लेकिन उन महिलाओं को, जिन्होंने अपने समय की भयावह परिस्थितियों में ऐसा निर्णय लिया, केवल डरपोक या कायर कहना उनके ऐतिहासिक संदर्भ और मानसिक साहस दोनों को नज़रअंदाज़ करना है।

इतिहास की घटनाओं को समझने का अर्थ उनका समर्थन करना नहीं होता। इतिहास का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि हम यह समझ सकें कि उस समय लोगों ने किन परिस्थितियों में कौन से निर्णय लिए और उन निर्णयों के पीछे कौन से सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारण काम कर रहे थे।

क्षत्राणी की शक्ति केवल तलवार उठाने में नहीं थी : उस समय क्षत्राणी की शक्ति केवल तलवार उठाने या युद्धभूमि में उतरने में नहीं थी। वह संकट में धैर्य, आत्मसम्मान, मानसिक दृढ़ता और निर्णय लेने की क्षमता में भी दिखाई देती थी। आज हमें उसी शक्ति की आधुनिक और सकारात्मक व्याख्या करने की आवश्यकता है, जहां स्त्री भय के आगे झुके नहीं, बल्कि शिक्षा, आत्मनिर्भरता, कानून और अपने अधिकारों की ताकत के साथ अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले।

आज जौहर की आवश्यकता या समर्थन की बात करना न तो उचित है और न ही इसका उद्देश्य होना चाहिए। आज की भारतीय नारी की शक्ति जीवन चुनने, शिक्षा पाने, आत्मनिर्भर बनने, अन्याय का प्रतिरोध करने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने में है।

आंगनवाड़ी केंद्रों में धूमधाम से मनाया कृष्ण जन्माष्टमी पर्व

पीपुल्स प्रवक्ता, सिराली।

आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 03, 06 एवं 07 सिराली द्वारा सामूहिक रूप से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास एवं भक्तिभाव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, क्षेत्र की महिलाओं एवं जनप्रतिनिधि श्री जितेंद्र जी मालवीय ने सहभागिता की।

इस अवसर पर नन्हे-मुन्ने बच्चों को भगवान श्रीकृष्ण एवं राधा के मनमोहक स्वरूप में सजाया गया। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं एवं बच्चों ने भजन-कीर्तन के साथ जन्माष्टमी पर्व मनाया।

कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती ममता जोशी, श्रीमती कुसुम सांगोले एवं श्रीमती फेमिदा खान, सहायिका श्रीमती सरोज करोंची सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। उपस्थित अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के महत्व की जानकारी दी गई।

जनप्रतिनिधि श्री जितेंद्र जी मालवीय ने बच्चों एवं महिलाओं को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़े पर्वों को उत्साहपूर्वक मनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों एवं उपस्थित महिलाओं को प्रसाद वितरित किया गया। सामूहिक आयोजन से आंगनवाड़ी केंद्रों में उत्सव एवं उल्लास का माहौल रहा।

मेट्रो निर्माण के नाम पर सड़क पर फैलाई मिट्टी, लगा जुर्माना

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल। मिट्टी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। इसके चलते जुर्माने की कार्रवाई की गई। मिट्टी की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है। इसके चलते जुर्माने की कार्रवाई की गई।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष कुमार पटेल, आयु वयस्क, निवासी-ग्राम पोस्ट बिठोली, सीधी (म.प्र.) है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम श्रवण पटेल पिता संतोष कुमार पटेल (SRAVAN PATEL S/O SANTOSH KUMAR PATEL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम वरूण कुमार पटेल पिता संतोष कुमार पटेल (VAROON KUMAR PATEL S/O SANTOSH KUMAR PATEL) है जो मेरे पुत्र के शैक्षणिक अंकसूची में दर्ज है जिसे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे।

प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को वरूण कुमार पटेल पिता संतोष कुमार पटेल (VAROON KUMAR PATEL S/O SANTOSH KUMAR PATEL) के नाम से जाना-पहचाना, व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम- श्रवण पटेल पिता संतोष कुमार पटेल (SRAVAN PATEL S/O SANTOSH KUMAR PATEL)

नया नाम- वरूण कुमार पटेल पिता संतोष कुमार पटेल (VAROON KUMAR PATEL S/O SANTOSH KUMAR PATEL)

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उमराव सिंह, आयु वयस्क, निवासी-महुआखेड़ा ध्वज, रायसेन (म.प्र.) है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम शिवानी पिता उमराव सिंह (SHIVANI D/O UMRAV SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम सुहानी लोधी पिता उमराव सिंह (SUHANI LODHI D/O UMRAV SINGH) है जो मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है जिसे समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज किया जावे।

प्रकाशन उपरान्त मेरी पत्नी को सुहानी लोधी पिता उमराव सिंह (SUHANI LODHI D/O UMRAV SINGH) के नाम से जाना-पहचाना, व लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम- शिवानी पिता उमराव सिंह (SHIVANI D/O UMRAV SINGH)

नया नाम- सुहानी लोधी पिता उमराव सिंह (SUHANI LODHI D/O UMRAV SINGH)

In The Court Of II Additional Judge To I Civil Judge Class-II, District Court, Bhind

Presiding Officer: श्री राहुल सिंह मीना
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCSA/0000254/2026)
छैलबिहारी....वादी Vs सर्वसाधारण ...प्रतिवादी
6948/01-09-26 T 3273/24-08-26

Process Id-/2026
पेशी दिनांक :- 07/10/2026

प्रेषिती- (1) सर्वसाधारण, यह कि प्रार्थी छैलबिहारी पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम विलाव पर. व जिला भिण्ड म.प्र. ने सर्वसाधारण के विरूद्ध आराजी मौजा विलाव तह. भिण्ड के सर्वे नं. 2636 रकवा 0.10 हे., 2736 रकवा 0.26 हे., 2740 रकवा 0.57 हे., कुल किता 3 कुल रकवा 0.93 हे. एवं इसी मौजा के सर्वे नं. 2679 रकवा 0.13 हे., 2692 रकवा 0.55 हे., कुल किता 2 कुल रकवा 0.68 हे. के लिए स्वत्व घोषणा अंतर्गत धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का वाद संस्थित किया है, यदि किसी को आपत्ति हो तो आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि दिनांक 07-10-2026 में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख 31 August 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

टिप्पणीः-.

कृपया ध्यान दें:- 1. यदि किसी कारणवश उन्नत तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायाधीश
(राहुल सिंह मीना)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड (म.प्र.)

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं की मै ब्रजेश रजक आत्मज हल्केभैया रजक आयु वयस्क निवासी ग्राम उदयगिरी तहसील बरेली जिला रायसेन, मध्यप्रदेश हूँ। यह की मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम हर्षित रजक पिता ब्रजेश रजक (HARSHIT RAJAK S/O BRAJESH RAJAK) हैं। परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश हर्ष पिता ब्रजेश रजक (HARSH S/O BIRJESH RAJAK) लिखा गया हैं जो की गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र मे दर्ज होने से प्रमाणित है। जिसे में मेरे पुत्र के आधार कार्ड/शासकीय/ अशासकीय/ शैक्षणिक /अशैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की हर्षित रजक पिता ब्रजेश रजक (HARSHIT RAJAK S/O BRAJESH RAJAK) व हर्ष पिता ब्रजेश रजक (HARSH S/O BIRJESH RAJAK) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं अर्थात मेरे पुत्र के ही नाम हैं।

प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके वास्तविक सही नाम हर्षित रजक पिता ब्रजेश रजक (HARSHIT RAJAK S/O BRAJESH RAJAK) से जाना पहचाना एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम- हर्ष पिता ब्रजेश रजक (HARSH S/O BIRJESH RAJAK)

नया नाम- हर्षित रजक पिता ब्रजेश रजक (HARSHIT RAJAK S/O BRAJESH RAJAK)

भवदीय
ब्रजेश रजक आत्मज हल्केभैया रजक निवासी ग्राम उदयगिरी तहसील बरेली जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कटनी

लोक सुनवाई की आम सूचना

सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना कमांक एस.ओ.1533 दिनांक 14.9.2006 यथा संशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत मेसर्स कस्तूरी मिनिरल्स, जमुनिया डोलोमाईट माइन, खसरा नं. 11,12, ग्राम जमुनिया, तहसील बडवारा, जिला - कटनी, लीज क्षेत्रफल 3.160 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता डोलोमाइट 50712 टन प्रतिवर्ष, ओवर बर्डन 3836 टन प्रतिवर्ष, एवं लेटेराईट साइल 12919 टन प्रतिवर्ष, हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के अनुक्रम में लोक सुनवाई कराने हेतु म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं परियोजना का कार्यकारी सारांश हिन्दी व अग्रेंजी में साफ्ट कापी सहित का अवलोकन (1) कार्यालय कलेक्टर, कटनी (2) कार्यालय जिला पंचायत, कटनी, (3) कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द, कटनी (4) कार्यालय ग्राम पंचायत ग्राम जमुनिया, तहसील बडवारा, जिला कटनी, (5) अतिरिक्त प्रधान मुख्य संरक्षक, केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन लिंक रोड कमांक 3 राजयोग भवन के पास ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल (6) मुख्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल एवं (7) क्षेत्रीय कार्यालय, नवीन भवन पता एन.एच. 30, जबलपुर रीवा बायपास रोड, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा शो रूम के पास गुलवारा तहसील मुडवारा, जिला कटनी (म.प्र.) मे कार्यालयीन समय मे किया जा सकता है तथा इसे बोर्ड की बेवसाइड www.mppcb.nic.in पर भी देखा जा सकता है। जिस किसी व्यक्ति को उक्त खदान के पर्यावरणीय विषय के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय मे प्रस्तुत की जा सकती है। इस परियोजना के लिए लोक सुनवाई दिनांक 09.10.2026 दिन शुक्रवार को प्रातः 10:00 बजे मेसर्स कस्तूरी मिनिरल्स, जमुनिया डोलोमाईट माइन, ग्राम जमुनिया, तहसील बडवारा, जिला कटनी, (म.प्र.) के परियोजना स्थल के परिसर के समीप आयोजित की जायेगी जिसमे भी सुझाव, विचार, टीका/टिप्पणी एवं आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

क्षेत्रीय अधिकारी

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, दीपचंद्र पुत्र जमना. आयु वयस्क निवासीः जमना मंदिर के पास पटना राजा पटना खुर्द, पत्नाराजा, दमोह मध्यप्रदेश पिन-470880 निवासी हूँ। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम प्रिंस (PRINS) टायपिंग त्रुटि के कारण त्रुटिवश दर्ज हो गया है जो कि असत्य है मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम कार्तिक असाठी (KARTIK ASATI) है जो कि पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है। जिससे मे पुत्र का वास्तविक व सही नाम कार्तिक असाठी (KARTIK ASATI) आधार कार्ड शासकीय / अशासकीय दस्तावेजो में दर्ज कराना चाहता हूँ।

अतः प्रकाशन उपरांत मेरै पुत्र को उसके सही व वास्तविक कार्तिक असाठी (KARTIK ASATI) के नाम से जाना व पढ़ा जायेगा।

पुराना नाम
प्रिंस (PRINS)

नया नाम
कार्तिक असाठी
(KARTIK ASATI)

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, सुनील अहिरवाल पुत्रश्री रमेश अहिरवालइआयु वयस्क, निवासी ग्राम बोतराई, बोतरई, दमोह मध्य प्रदेश पिन-470666 का निवासी हूँ। मेरी पुत्री के आधारकार्ड मे मेरी पुत्री का नाम जानवी अहिरवाल (JANVI AHIRWAL) टायपिंग त्रुटि के कारण त्रुटिवश दर्ज हो गया है जो कि असत्य है मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम रीना अहिरवाल (REENA AHIRWAL) है जो कि पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है। जिससे मे पुत्री का वास्तविक व सही नाम नाम रीना अहिरवाल (REENA AHIRWAL) आधार कार्ड शासकीय / अशासकीय दस्तावेजो में दर्ज कराना चाहता हूँ।

अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही व वास्तविक नाम रीना अहिरवाल (REENA AHIRWAL) के नाम से जाना व पढ़ा जायेगा।

पुराना नाम- जानवी अहिरवाल (JANVI AHIRWAL)

नया नाम- रीना अहिरवाल (REENA AHIRWAL)

नाम परिवर्तन सूचना

मै घनश्याम अहिरवार पुत्र श्री करनसिंह आयु वयस्क निवासी ग्राम भैरोंखेडी तहसील व जिला विदिशा म.प्र. पिन 464001 परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में श्रुटिवश नाम आवक पुत्र घनश्याम (Aavak S/o Ghanshyam) अंकित हो गया है जो कि अधूरा व गलत है एवं मेरे पुत्र का वास्तवित सही नाम अभि कुमार अहिरवार पुत्र श्री घनश्याम अहिरवार (ABHI KUMAR AHIRWAR S/O GHANSHYAM AHIRWAR) है जो कि मेरे पुत्र की अंक सूची एवं जन्म प्रमाण पत्र मै दर्ज होने से प्रताणित है।

प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम अभि कुमार अहिरवार पुत्र श्री घनश्याम अहिरवार (ABHI KUMAR AHIRWAR S/O GHANSHYAM AHIRWAR) के नाम से जाना व पहचाना व पढा जावे।

पुराना नाम :- आवक पुत्र घनश्याम (Aavak S/o Ghanshyam)

नया नाम :- अभि कुमार अहिरवार पुत्र श्री घनश्याम अहिरवार (ABHI KUMAR AHIRWAR S/O GHANSHYAM AHIRWAR)

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक- 3371/अ-6/2026-27
मौजा अरवलिया तहसील हुजूर, भोपाल

:: उद्घोषणा पत्र ::

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। शोऐब खान आत्मज श्री मोहम्मद सलीम निवासी-मं.नं. 50, गली नं. 01. इब्राहीमपुरा भोपाल म.प्र. ने म.प्र.भू-रा.संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज के आधार पर क्रय की गई भूमि स्थित ग्राम अरवलिया तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक-161 रकबा 600 वर्गफिट भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 18/09/2026 को या इस से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समया वधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक को 02/09/2026 जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-2709/अ-6/सन्-2026-27
मौजा- गुराड़िया तहसील हुजूर, भोपाल

:: उद्घोषणा पत्र ::

सर्व साधारण आवेव्क जगदीश कुमार केसवानी पुत्र स्व.श्री लोकूमल केसवानी निवासी 10, परमानन्द भवन, ओल्ड सिंधी कालोनी, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.) ने म.प्र.भू-रा. संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विकय पत्र दस्तावेज के आधार पर कय की गई भूमि स्थित ग्राम गुराड़िया तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक- 351/1, रकबा कमांक 0.380 हे0 भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण मे नियत पेशी दिनांक 18/9/2026 को या इस से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समया वधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 02/09/2026 को जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील-हुजूर, भोपाल

न्यायालय अपर तहसीलदार, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ वृत्त, भोपाल

प्रकरण क्रमांक 0663/31-6/2026-27
दिनांकः 25/08/2026
ग्रामः भैसाखेडी

//उद्घोषणा//

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मिथलेश राजपूत आ. श्री लीलाकिशन, निवासी-1661. पुराना पोस्ट ऑफिस, बेहटा गांव के पास, बैरागढ़, भोपाल, म.प्र. द्वारा ग्राम भैसाखेडी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 2/1/3/2 (एस), 4/2/2, 5/1/2/2, 2/1/2/2/1 पर स्थित भू-खण्ड क्रमांक-110 का क्षेत्रफल 92.93 वर्गमीटर अर्थात 1000 वर्गफिट भूमि का नामांतरण पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर किये जाने का आवेदन पत्र पेश किया गया है। प्रकरण न्यायालय में प्रचलित है। जिसके संबध मे मौखिक रूप से सूचना दिया जाना संभव ना होने के कारण उद्घोषणा प्रकाशन किया जाता है।

उक्त सबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति न्यायालय में पेश कर सकता है। निर्धारित समय अवधि पश्चात प्रकरण मे विधि अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी। आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 08/09/2026 को पेशी नियत है।

उक्त उद्घोषणा दिनांक 25/08/2026 को न्यायालय अपर तहसीलदार, नजूल संत हिरदाराम नगर, बैरागढ वृत्त द्वारा मेरे मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया हैं।

अपर तहसीलदार
संत हिरदाराम नगर,
(बैरागढ़)- वृत्त भोपाल

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, गिरराज माहेश्वरी (GIRRAJ MAHESHWARI) पिता हरिवल्लम बाहेती (HARIVALLABH BAHETI) निवासी- मकान नं. 79, सेक्टर-ए, अवधपुरी भोपाल (म.प्र.) में निवास करता हूँ। यह कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम- गिरिराज माहेश्वरी (GIRRAJ MAHESHWARI) पिता हरिवल्लभ बाहेती (HARIVALLABH BAHETI) दर्ज है तथा कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम- गिरिराज बाहेती (GIRIRAJ BAHETI) पिता हरिवल्लम बाहेती (HARIVALLABH BAHETI) दर्ज है । दोनो नाम मेरे ही है । जहां कहीं भी मेरा नाम मेरा नाम- गिरिराज बाहेती (GIRIRAJ BAHETI) पिता हरिवल्लभ बाहेती (HARIVALLABH BAHETI) दर्ज है। उसके स्थान पर मेरा नाम गिरराज माहेश्वरी (GIRRAJ MAHESHWARI) पिता हरिवल्लभ बाहेती (HARIVALLABH BAHETI) पढ़ा एवं लिखा जावे एवं सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम- गिरिराज बाहेती (GIRIRAJ BAHETI) पिता हरिवल्लभ बाहेती (HARIVALLABH BAHETI)

नया नाम- गिरराज माहेश्वरी (GIRRAJ MAHESHWARI) पिता हरिवल्लभ बाहेती (HARIVALLABH BAHETI)

न्यायालय वृत्त रतनपुर सडक तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल

क्रमांक 1122/अ-6/2026-27

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है प्रकरण का संक्षिप्त विवरण आवेदक- श्रीमती ज्योति नाहटा पत्नी श्री अशोक कुमार निवासी-भोपाल म.प्र. आ